प्राप्त सं0 - 208
31-7-12

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा. आपूर्ति

समाहरणालय
28 JUL 2012

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र07-ज0वि0प्र0-01/2012- खाद्य/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बाँका ।

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के मरणोपरान्त उसके आश्रित को अनुकम्पा पर अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के संबंध में ।

677
28/07/12

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 12-10/11-350/खाद्य, दिनांक- 29.03.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं आपके प्रासंगिक पत्र संख्या- 12-10/11-350/खाद्य, दिनांक- 29.03.2012 के संबंध में कहना है कि विधि विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार किसी मृत अनुज्ञप्तिधारी के पश्चात् यदि उसके आश्रित को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति दी जाती है तो वह नयी अनुज्ञप्ति मानी जायेगी और फिर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को यदि अन्य शर्त्तों पूरी होती हो तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार उन्हें अनुकम्पा का लाभ दिया जा सकता है ।

उक्त आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-01/2012-4672 खाद्य/पटना, दिनांक-24/7/2012

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 416 / दिनांक 31-07-2012/

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला आपूर्ति पदा0,
मधेपुरा ।

D:\Year-2012\Sec-7\PDS Shop.doc